Under CSR Support by
ipca | Foundation

missiongyan
LET'S LEARN TOGETHER

कक्षा - 12

स्वतंत्र भारत में राजनीति

अध्याय - 6

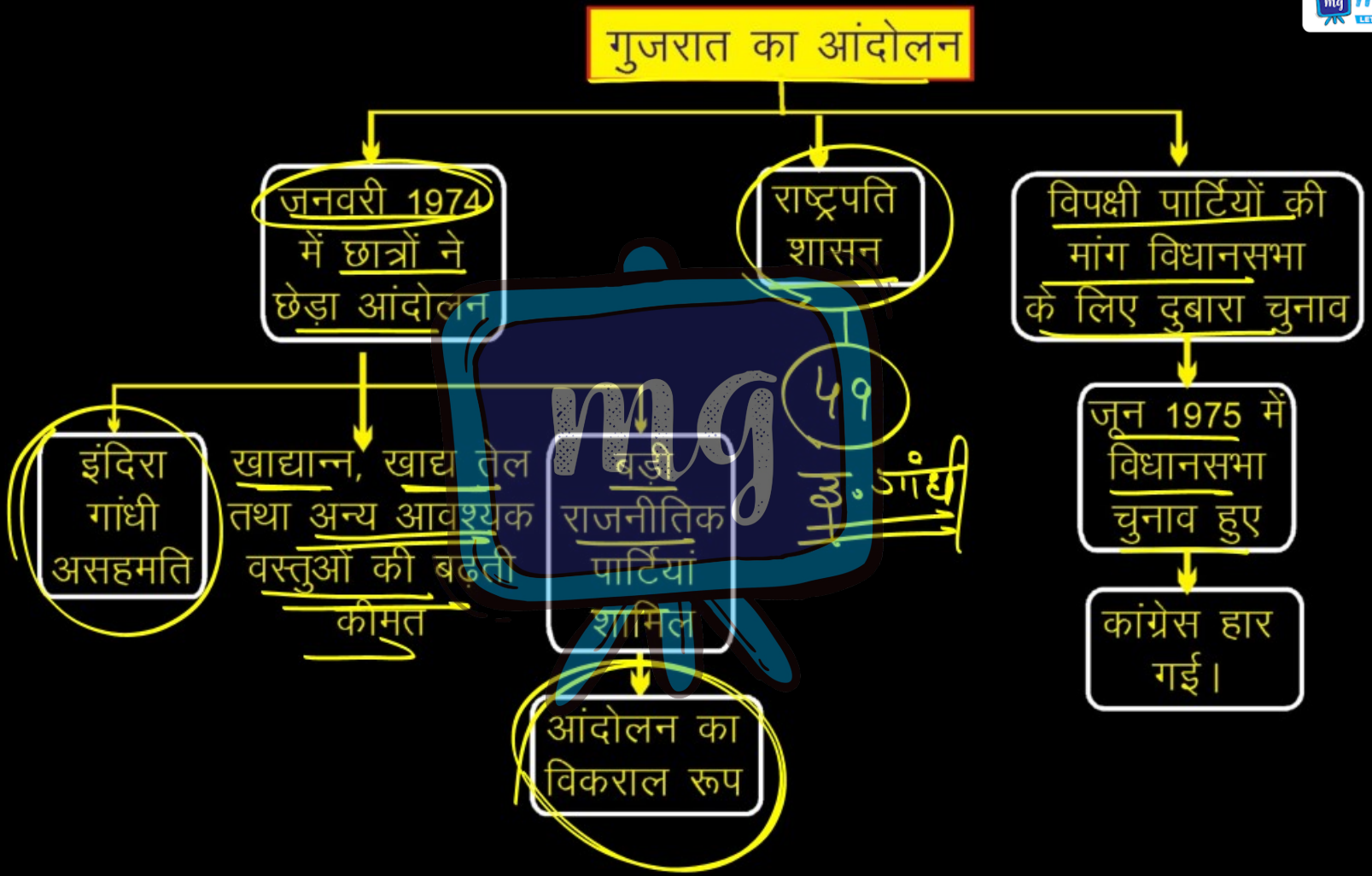
लोकतांत्रिक व्यवस्था का संकट

भाग - 2

Satyaveer Yadav

Under CSR Support by ipca | Foundation

missiongyan LET'S LEARN TOGETHER



Under CSR Support by ipca | Foundation

missiongyan LET'S LEARN TOGETHER

राष्ट्रपति शासन / राज्य आपातकाल

अनु. 356 → राज्य का संवै. तंत्र विफल हो जाने पर।

लागू → राज्यपाल की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा

01 बार – 06 माह
– 06 माह

→ 01 वर्ष → EC → 03 वर्ष

Under CSR Support by ipca | Foundation

mg missiongyan LET'S LEARN TOGETHER

J.P. नारायण

संपूर्ण क्रांति — 1974

07 तत्व

- सामाजिक
- आर्थिक
- राजनैतिक
- सांस्कृतिक
- शैक्षणिक
- बौद्धिक
- आध्यात्मिक

बिहार का आंदोलन

मार्च 1974 में छात्रों ने छेड़ा आंदोलन

बढ़ती कीमतें खाद्यान्न का अभाव बेरोजगारी और भ्रष्टाचार

जयप्रकाश नारायण को बुलावा

लोकनायक जननायक

निमंत्रण स्वीकार लेकिन शर्त

आंदोलन अहिंसक रहेगा और अपने को सिर्फ बिहार तक सीमित नहीं रखेगा

इस प्रकार छात्र आंदोलन ने राजनीतिक चरित्र ग्रहण किया

सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक दायरे में सम्पूर्ण क्रांति का आह्वान

बिहार की कांग्रेस सरकार को बर्खास्त करने की मांग

Under CSR Support by ipca | Foundation

missiongyan LET'S LEARN TOGETHER

- आंदोलन का प्रभाव राष्ट्रीय राजनीति पर पड़ना शुरू हुआ।
- जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में चल रहे आंदोलन के साथ ही साथ रेलवे के कर्मचारियों ने भी एक राष्ट्रव्यापी हड़ताल का आह्वान किया।
- इससे रोजमर्रा के कामकाज ठप्प हो जाने का खतरा।
- 1975 में जेपी ने जनता के 'संसद मार्च' का नेतृत्व किया।
- जयप्रकाश नारायण को अब भारतीय जनसंघ, कांग्रेस (O) भारतीय लोकदल, सोशलिस्ट पार्टी जैसे गैर-कांग्रेसी दलों ने समर्थन किया।

नेतृत्व
जॉर्ज फर्नांडिस

Under CSR Support by
ipca | Foundation

missiongyan
LET'S LEARN TOGETHER

जेपी द्वारा आंदोलन की अपनायी गयी रणनीति की आलोचनाएँ :-

- गुजरात और बिहार, दोनों ही राज्यों के आंदोलन को कांग्रेस विरोधी माना गया।
- कहा गया कि ये आंदोलन राज्य सरकार के खिलाफ नहीं अपितु इंदिरा गांधी के खिलाफ चलाये गये हैं।

Under CSR Support by
ipca | Foundation

missiongyan
LET'S LEARN TOGETHER

न्यायपालिका से संघर्ष

तीन संवैधानिक मसलें :-

1. क्या संसद मौलिक अधिकारों में कटौती कर सकती है।
   SC - सरकार ऐसा नहीं कर सकती।
2. क्या संसद संविधान में संशोधन करके संपत्ति के अधिकार में काँट-छांट कर सकती है?
   SC - सरकार संविधान में इस तरह का संशोधन नहीं कर सकती कि अधिकारों की कटौती की जाये।
3. संसद ने यह कहते हुए संविधान में संशोधन किया कि वह नीति-निर्देशक सिद्धांतों को प्रभावकारी बनाने के लिए मौलिक अधिकारों में कमी कर सकती है।
   SC ने इसे भी निरस्त किया।

Under CSR Support by ipca | Foundation

missiongyan LET'S LEARN TOGETHER

- इससे सरकार और न्यायपालिका के बीच तनाव आया।

संकट की परिणति - केशवानंद भारती मुकदमा।

- 1973 में केशवानंद भारती के फैसले के तुरंत बाद मुख्य न्यायाधीश का पद खाली हुआ।
- सरकार ने तीन वरिष्ठ न्यायाधीशों की अनदेखी करके न्यायमूर्ति ए.एन. रे. को मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया।
- जिन तीन न्यायाधीशों की अनदेखी की गयी उन्होंने सरकार के इस फैसले के विरुद्ध निर्णय दिया।

इस संघर्ष का चरमबिंदु - एक उच्च न्यायालय ने इंदिरा गांधी के निर्वाचन को अवैध घोषित कर दिया।